



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225623
CG-DL-E-04032021-225623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942

No. 908]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 982(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754K के कि.मी. १७.६०० से कि.मी. १९.९०० (गहुली बाई पास) और कि.मी. 32.2 से कि.मी. 53.85 (झारा और हाजी पीर के बीच मिसिंग लिंक) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख" ०७ जुलाई २०२० "को "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "कच्छमित्र" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH 754K के कि.मी. १७.६०० से कि.मी.१९.९०० (गढुली बाई पास) और कि.मी. ३२.२०० से कि.मी. ५३.८५० (झारा और हाजीपीर के बीच मिसिंग लिंक) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: कच्छ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लखपत				
	गांव का नाम: घडुली				
1	118/2	निजी(कृषि)	कृषि	0.05	खताबाई करीमना अली रायमा, दादा करीमना अली रायमा, इस्माइल करीमनाअली रायमा (११८/२)
2	120	निजी(कृषि)	कृषि	0.1542	खताबाई करीमना अली रायमा, दादा करीमना अली रायमा, इस्माइल करीमनाअली रायमा (१२०)
3	121	निजी(कृषि)	कृषि	0.2014	किशोरकुमार अखई पटेल (१२१)
4	122	निजी(कृषि)	कृषि	0.06	शंकरलाल राजा पटेल (१२२)
5	124	निजी(कृषि)	कृषि	0.2338	जशवंत प्रेमजी पटेल, कमलेश प्रेमजी पटेल, महेश प्रेमजी पटेल, वीरेंद्र मावजी प्रेमजी पटेल, अशोक मावजी प्रेमजी पटेल (१२४)

6	6	निजी(कृषि)	कृषि	0.3023	हंसराज नानजी भिमानी (६)
7	7/1/p1,7/1/p2,7/1/p3,7/1/p4,7/2	निजी(कृषि)	कृषि	0.4458	रतनशी नानजी पटेल (७/१/पैकी१)
8	7/1/p1,7/1/p2,7/1/p3,7/1/p4,7/2	निजी(कृषि)	कृषि	0.7252	हंसराज नानजी पटेल, मंजुलाबेन हंसराज पटेल, दीपक हंसराज पटेल, योगेश हंसराज पटेल (७/१/पैकी३)
9	7/1/p1,7/1/p2,7/1/p3,7/1/p4,7/2	निजी(कृषि)	कृषि	0.0212	दिनेश भीमजी पटेल (७/१/पैकी४)
गांव का नाम: जारा					
10	3/p2	निजी(कृषि)	कृषि	0.3017	भचाया हारून नोतियार (३/२)
11	5/p1,5/p2	निजी(कृषि)	कृषि	0.3919	वसाया हुसैन नोटियर (५/पैकी२)
12	6/p1,6/p2	निजी(कृषि)	कृषि	0.1975	उमर मलूक नोतियार (६/पैकी२)
			कुल	3.085	

[फा. सं. 02/2019/GJ/ZONE-V/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 982(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.1862 (E) dated 12 June, 2020 published in Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub- Section (ii) issued under sub-section (i) of section 3A of the National Highway Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Construction of missing links etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.754 K on the stretch from Km. 17.600 to Km. 19.900 (Gaduli bypass) and Km. 32.200 to Km. 53.850 (missing link between Jara to Hajipir) in the district Kachchh in the State of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Times of India " and in "Kutchmitra " both dated 7 July, 2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

Schedule

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 17.600 to Km. 19.900 (Gaduli bypass) and Km. 32.200 to Km. 53.850 (missing link between Jara to Hajipir) of the National Highways No. 754 K in the State of Gujarat.

State: GUJARAT District: KACHCHH					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Lakhpat				
	Village: Ghaduli				
1	118/2	Private(Agriculture)	Agriculture	0.05	Khatabai Karimna Ali Rayama, Dada Karimnaali Rayama, Ismail Karimna Ali Rayma 118/2
2	120	Private(Agriculture)	Agriculture	0.1542	Khatabai Karimna Ali Rayama, Dada Karimnaali Rayama, Ismail Karimna Ali Rayma 120
3	121	Private(Agriculture)	Agriculture	0.2014	Kishorkumar Akhai Patel 121
4	122	Private(Agriculture)	Agriculture	0.06	Shankarlal Raja Patel 122
5	124	Private(Agriculture)	Agriculture	0.2338	Jashwant Premji Patel, Kamlesh Premji Patel, Mahesh Premji Patel, Virendra Mavji Premji Patel, Ashok Mavji Premji Patel 124
6	6	Private(Agriculture)	Agriculture	0.3023	Hansraj Nanji Bhimani 6
7	7/1/p1,7/1/p2,7/1/p3,7/1/p4,7/2	Private(Agriculture)	Agriculture	0.4458	Ratanshi Nanji Patel 7/1/p1
8	7/1/p1,7/1/p2,7/1/p3,7/1/p4,7/2	Private(Agriculture)	Agriculture	0.7252	Hansraj Nanji Patel, Manjulaben Hansraj Patel, Deepak Hansraj Patel, Yogesh Hansraj Patel 7/1/p3
9	7/1/p1,7/1/p2,7/1/p3,7/1/p4,7/2	Private(Agriculture)	Agriculture	0.0212	Dinesh Bhimji Patel 7/1/p4
	Village: Jara				
10	3/p2	Private(Agriculture)	Agriculture	0.3017	Bhachaya Haroon Notiyar 3/2

11	5/p1,5/p2	Private(Agriculture)	Agriculture	0.3919	Vasaya Hussein Notiyar 5/p2
12	6/p1,6/p2	Private(Agriculture)	Agriculture	0.1975	Umar Maluk Notiyar 6/p2
			TOTAL	3.085	

[F. No. 02/2019/GJ/ZONE-V/3D]

RAJESH GUPTA, Director